

Central Goods & Services Tax Act, 2017

SCHEDULE II

[See Section 7]

**ACTIVITIES ¹[OR TRANSACTIONS] TO BE TREATED AS SUPPLY OF
GOODS OR SUPPLY OF SERVICES**

1. Transfer
 - (a) any transfer of the title in goods is a supply of goods;
 - (b) any transfer of right in goods or of undivided share in goods without the transfer of title thereof, is a supply of services;
 - (c) any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed, is a supply of goods.
2. Land and Building
 - (a) any lease, tenancy, easement, licence to occupy land is a supply of services;
 - (b) any lease or letting out of the building including a commercial, industrial or residential complex for business or commerce, either wholly or partly, is a supply of services.
3. Treatment or process
Any treatment or process which is applied to another person's goods is a supply of services.
4. Transfer of business assets
 - (a) where goods forming part of the assets of a business are transferred or disposed of by or under the directions of the person carrying on the business so as no longer to form part of those assets, whether or not for a consideration, such transfer or disposal is a supply of goods by the person;
 - (b) where, by or under the direction of a person carrying on a business, goods held or used for the purposes of the business are put to any private use or are used, or made available to any person for use, for any purpose other than a purpose of the business, whether or not for a consideration, the usage or making available of such goods is a supply of services;
 - (c) where any person ceases to be a taxable person, any goods forming part of the assets of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person, unless—

¹ Inserted vide The CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) dt. 29/08/2018 w.e.f. 01/07/2018.

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (i) the business is transferred as a going concern to another person; or
- (ii) the business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person.

5. Supply of services

The following shall be treated as supply of service, namely:—

- (a) renting of immovable property;
- (b) construction of a complex, building, civil structure or a part thereof, including a complex or building intended for sale to a buyer, wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier.

Explanation.—For the purposes of this clause—

- (1) the expression "competent authority" means the Government or any authority authorised to issue completion certificate under any law for the time being in force and in case of non-requirement of such certificate from such authority, from any of the following, namely:—
 - (i) an architect registered with the Council of Architecture constituted under the Architects Act, 1972 (20 of 1972); or
 - (ii) a chartered engineer registered with the Institution of Engineers (India); or
 - (iii) a licensed surveyor of the respective local body of the city or town or village or development or planning authority;
- (2) the expression "construction" includes additions, alterations, replacements or remodelling of any existing civil structure;
- (c) temporary transfer or permitting the use or enjoyment of any intellectual property right;
- (d) development, design, programming, customisation, adaptation, upgradation, enhancement, implementation of information technology software;
- (e) agreeing to the obligation to refrain from an act, or to tolerate an act or a situation, or to do an act; and
- (f) transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration.

6. Composite supply

The following composite supplies shall be treated as a supply of services, namely:—

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (a) works contract as defined in clause (119) of section 2; and
- (b) supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (other than alcoholic liquor for human consumption), where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration.

7. Supply of Goods

The following shall be treated as supply of goods, namely: –

Supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अनुसूची

अनुसूची 2

[धारा 7 देखिए]

ऐसे क्रियाकलाप ¹[या संव्यवहार] जिन्हें माल या सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा

1. अंतरण—
 - (क) माल में हक का कोई अंतरण, माल की पूर्ति है;
 - (ख) माल में अधिकार या माल में अविभाजित हिस्से का, उसके हक के अंतरण के बिना कोई अंतरण, सेवाओं की पूर्ति है;
 - (ग) कोई करार जो अनुबंध करता है कि माल में संपत्ति जैसी सहमति हुई है उसके अनुसार पूर्ण प्रतिफल के संदाय पर किसी भावी तारीख को हस्तांतरित होगा, माल की पूर्ति है।
2. भूमि और भवन—
 - (क) कोई पट्टा, किराएदारी, सुखाचार, भूमि को कब्जा करने की अनुज्ञप्ति सेवाओं की पूर्ति है;
 - (ख) भवन जिसके अंतर्गत कारबार या वाणिज्य के लिए वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय कामप्लेक्स भी है, चाहे वह पूर्णतः या अंशतः हो, कोई पट्टा या किराए पर देना, सेवाओं की पूर्ति है।
3. उपचार या प्रक्रिया—

कोई उपचार या प्रक्रिया जो अन्य व्यक्ति के माल के संबंध में की जाती है, सेवाओं की पूर्ति है।
4. कारबार आस्तियों का अंतरण—
 - (क) जहां माल को, जो कारबार संपत्ति का भाग है, ऐसे व्यक्ति, जो कारबार चला रहा है, के निदेशों के अधीन या उसके द्वारा अंतरित या व्ययनित किया जा रहा है जिससे कि वह उन आस्तियों का हिस्सा न रहे; ²[.....] ऐसा अंतरण या व्ययन, व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति है;
 - (ख) जहां, व्यक्ति जो कारबार चला रहा है के निदेश के अधीन माल, जो कारबार के प्रयोजन के लिए रखाया उपयोग किया गया, को कारबार के प्रयोजन के अतिरिक्त किसी निजी उपयोग में लाने के लिए रखा गया या उपयोग कर लिया गया या किसी व्यक्ति को उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया, चाहे वह ³[.....] ऐसे माल का उपयोग करना या उपलब्ध करवाना माल की पूर्ति है;
 - (ग) जहां कोई व्यक्ति कराधेय व्यक्ति नहीं रह जाता है, वहां कोई माल जो उसके द्वारा

¹ सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

² वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा "जो किसी प्रतिफल के लिए है या नहीं है," विलोपित। (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। यद्यपि अधिसूचना क्रमांक 92/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

³ वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा "प्रतिफल के लिए है या नहीं," विलोपित। (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। यद्यपि अधिसूचना क्रमांक 92/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अनुसूची

चलाए गए कारबार की आस्तियों का हिस्सा है, उसके कराधेय व्यक्ति के रूप में न रहने से तुरंत पूर्व उसके कारबार के अनुक्रम या उसे अग्रसर करने में उसके द्वारा तब तक पूर्ति किया गया समझा जाएगा, जब तक कि—

- (i) अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में कारबार का अंतरण नहीं कर दिया जाता; या
- (ii) कारबार वैयक्तिक प्रतिनिधि द्वारा नहीं चलाया जाता है जिसे कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा।

5. सेवाओं की पूर्ति—

निम्नलिखित को सेवा की पूर्ति माना जाएगा, अर्थात् :-

- (क) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना;
- (ख) समापन प्रमाणपत्र के जारी होने के पश्चात् जहां पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो गया है और जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो या कब्जा मिलने के पश्चात् जो भी पहले हो, के सिवाय क्रेता को पूर्णतः या अंशतः विक्रय के लिए आशयित किसी कॉम्प्लेक्स, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग का सन्निर्माण।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए —

- (1) “सक्षम प्राधिकारी” अभिव्यक्ति से सरकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई प्राधिकरण और ऐसे प्राधिकरण की ओर से ऐसा प्रमाणपत्र गैर-अपेक्षित होने की दशा में, निम्नलिखित में से, कोई अभिप्रेत है, अर्थात् :-

- (i) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20) के अधीन गठित वास्तुविद् परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई वास्तुविद्; या
- (ii) इंजीनियरी संस्थान (भारत) के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई चार्टर्ड इंजीनियर; या
- (iii) क्रमशः नगर या शहर या गांव के स्थानीय निकाय का या विकास या योजना प्राधिकरण का कोई अनुज्ञप्त सर्वेक्षक;

- (2) “सन्निर्माण” अभिव्यक्ति के अंतर्गत किसी विद्यमान सिविल संरचना में परिवर्धन, परिवर्तन, प्रतिस्थापन या पुनः प्रतिरूपण है;

- (ग) किसी बौद्धिक संपत्ति अधिकार के उपयोग या उपभोग की अनुमति देना या अस्थायी अंतरण करना;
- (घ) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, क्रमादेशन, अनुकूलन, अडेप्टेशन, उन्नयन, अभिवृद्धि, क्रियान्वयन;
- (ङ) किसी कार्य के विरत होने की बाध्यता को मंजूरी देना या किसी कार्य या किसी स्थिति को सहन करना या किसी कार्य का करना; और
- (च) किसी प्रयोजन (किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या नहीं) नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को उपयोग करने के अधिकार का अंतरण।

6. संयुक्त पूर्ति—

निम्नलिखित संयुक्त पूर्तियों को सेवाओं की पूर्ति माना जाएगा, अर्थात् :-

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अनुसूची

- (क) धारा 2 के खंड (119) में यथापरिभाषित कार्य संविदा; और
- (ख) किसी सेवा के माध्यम से या उसके भाग के रूप में किसी अन्य रीति में जो भी हो, माल, खाद्य वस्तुओं या मानव उपभोग के लिए अन्य चीजों या किन्हीं देयों (मानव उपयोग हेतु मद्यसारिकपान के अतिरिक्त) की पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति सेवा नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए होती है।

7. ⁴[.....]

⁴ वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा पैरा 7 विलोपित किया गया और दिनांक 01.07.2017 से विलोपित किया हुआ समझा जायेगा। यद्यपि अधिसूचना क्रमांक 39/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

“(7) माल की पूर्ति—

निम्नलिखित को माल की पूर्ति के रूप में माना जाएगा, अर्थात् :-

किसी सदस्य को किसी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल की पूर्ति।”